

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या एम०ई०-3/2017/457 दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1 प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०)/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेंट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०)	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम०डी०/एम०एस०/एम०डी०एस०/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु० 40.00 लाख (डिप्री हेतु) रु० 20.00 लाख (पी०जी० डिप्लोमा/एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा सविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संघलित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	रु० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में सविदा प्रवक्ता अथवा सविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	---	---------	-------------------	---

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित की जायेगी—

1. बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली नू राजस्व की भांति की जायेगी।
3. ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर डिग्री धारक/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम०डी०एस०) को वही परिलब्धियाँ तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेंट/सीनियर रेजीडेंट अथवा वाक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त सविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को सविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलब्धियाँ निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
5. बाण्ड नर जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार धरनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलब्धियों का मुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित द्विपक्षीय बाण्ड में द्वितीय पदा श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एग्जीनेक्ट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-950(1)/71-2-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
7. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
8. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान गेट२ नोएडा।
11. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, चि०शि० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
12. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० (द्वारा महानिदेशक, चि०शि० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
13. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 एवं 4।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO
..... COURSE..... SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND (BOND) IS EXECUTED AT
ON THIS DAY OF _____

BETWEEN

NAME: _____

S/O, D/O, W/O _____

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS): _____

(TEMPORARY ADDRESS): _____

MOBILE NO: _____

E-mail id: _____

AADHAR NO. _____

hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government")
of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to
_____ course and FIRST PARTY has been selected to the
said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to
serve the Government for a period not less than ~~Two~~ Two year after
successful completion of the _____ course. If the FIRST
PARTY fails to serve the government for a period of ~~Two~~ Two year the
FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of
Rs _____ (Rupees _____ only) to Government at the
specified Government Treasury. During the above period the FIRST
PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their
services within a period of three months from the date of successful
completion of the _____ course. In case the Government does
not provide services in mentioned period, the BOND shall be released.

AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that in
successful completion of the _____ course higher
certificates relating to _____ course will not be given to the
FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully serves the

Government for a period of Two year or pay to the Government or
demand the sum of Rs _____ (Rupees _____) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified
period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified to
the Government as per applicable law during the period of delay.

AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST
PARTY _____ employed as _____ granted stipend to
him/her for a period of 24 months with effect from _____ In order to
enable his/her to study at _____ college

AND WHERE AS if the FIRST PARTY _____
works for a period of less than 24 months during the
_____ Super speciality course DM/MCH/ _____ Post
Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS
course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST
PARTY _____ shall pay back in addition to the security
amount of Rs _____ (Rupees _____)

_____ only) the balance amount of stipend to the Government.
This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time
being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be
accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS
FOLLOWS:-

1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of
Two year on successful completion of the _____ Super
speciality course DM/MCH/ _____ Post Graduate Degree
MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST
PARTY fails to serve the Government for a period of Two year, FIRST
PARTY shall pay forthwith a sum of Rs _____ (Rupees
_____ Only) to the Government in the specified Government
Treasury.

2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the
period of Two year service to the Government or till the payment of Rs
_____ Rupees _____ only is paid the
certificates relating to _____ Super speciality course

DM/MCH / Post Graduate Degree MD/ MS/ Diploma / MDS / Graduate Degree MBBS / BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution / University / College and the Government has a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.

3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution / University / College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared / discharged.

4- This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.

6- The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this (BOND) IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
FIRST PARTY

For and behalf of
Governor

Witnesses:-



2

प्रदेश के राजकीय नैडिक्का कालजो/विक्रिता विश्वविद्यालय/संस्थानों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0/ए0आई0पी0जी0एम0ई0ई0 प्रवेश कोटा के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले बाण्ड से सम्बन्धित शपथ-पत्र का प्रारूप

आज का दिन महानगरीय

पुर/पृथी श्री

निवासी

अखिल भारतीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा

यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0

अमुकमाक

स्टेट रिक

..... शपथी

मैं उपरोक्त शपथी/शपथिनी बंध निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि शपथी उक्त पत्र का मूल निशान है तथा नीचे दिये गये तथ्यों से बलीभांति वाकिफ है।
2. यह कि शपथी/शपथिनी ए0आई0पी0जी0एम0ई0ई0-2015 के माध्यम से इस राजकीय जिला चिकित्सालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेना चाहता/चाहती है।
3. यह कि मुझे प्रवेश आदेश संख्या- दिनांक में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तें स्वीकार हैं।
4. यह कि मुझे बलीभांति ज्ञात है कि यदि मैं (आयतित/प्रवेशित पाठ्यक्रम की अन्तिम काउन्सिल के उपनक्त तथा प्रवेश लेने के बाद किसी भी समय पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देता/देती हूँ तो मुझे (शपथी/शपथिनी) को ₹0 5.00 लाख (सपया पाँच लाख मात्र) व साथ-साथ अव्यक्तत अवधि में प्राप्त छात्रोत्तन के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि को भी लौट करना होगा, उक्त देनु शपथी/शपथिनी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तस्दीक-

मैं बाहलफ तस्दीक करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की धारा-1 से 4 की सभी कथन मेरे निजी ज्ञान व सत्य व सही है। कुछ छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

तस्दीक आज दिनांक में की गई है।

..... शपथी